



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@gov.in, m_env@rediffmail.com

पत्र सं० 8बी/यूपी०/०४/१५५/२०१३/एफ.सी./1867

दिनांक: 07.09.2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण)
एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

विषय : 765 के०वी० एकल परिपथ कानपुर-झटिकरा विद्युत पारेषण लाईन (पार्ट-2) के निर्माण हेतु अलीगढ़ में 0.512 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 86 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.3328 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 26 वृक्षों के पातन तथा मथुरा में 0.0704 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुमति, कुल 0.9152 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 112 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-404/11-सी-कानपुर-झटिकरा लाईन (0.9152 हे०) दिनांक-20.08.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक-789/11सी-अलीगढ़/हाथरस/मथुरा-51, लखनऊ, दिनांक-15.10.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद 765 के०वी० एकल परिपथ कानपुर-झटिकरा विद्युत पारेषण लाईन (पार्ट-2) के निर्माण हेतु अलीगढ़ में 0.512 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 86 वृक्षों के पातन, हाथरस में 0.3328 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 26 वृक्षों के पातन तथा मथुरा में 0.0704 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुमति, कुल 0.9152 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 112 वृक्षों के पातन की विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 1120 trees in (Compartment No. Not provided, Village- Not provided, Tehsil- Not provided, District- Aligarh, Hathras, Mathura, Kanpur Dehat) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
3. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
4. The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
5. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.
6. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
7. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
8. No labour camp shall be established on the forest land.

9. Plantation of dwarf species (preferably medicinal plants) in ROW under transmission line shall be taken up by forest department at the cost of User agency.
10. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
11. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
12. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
13. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
14. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
15. The User Agency and the State Government shall ensure compliance of all the Court-orders, provisions, rules, regulations and guidelines for the time being in force as applicable to the project.
16. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
17. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
18. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-2, लखनऊ।
2. प्रमुख वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस, उत्तर प्रदेश।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, 76-आर0न्यू0कालोनी, नियर पी0डब्लू0डी0 आफिस, पलवल, हरियाणा।
7. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक- 539 / 11-सी-कानपुर झटिकरा लाईन (0.9152), दिनांक, लखनऊ, सितम्बर 10, 2020

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रस्ताव की एक प्रति एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विषयगत प्रकरण में विज्ञप्ति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

2. वन संरक्षक, आगरा एवं अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ हाथरस एवं मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रबन्धक पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0, 76-आर न्यू कालोनी, नियर पी0डब्लू0डी0 आफिस, पलवल, हरियाणा।

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ